[7.4 · निजी स्कूल की मनमानी फ़ीस की शिकायत] — ख़ाली जगह (____) भरें, कोष्ठक वाले संकेत हटा दें, फिर प्रिंट करें। यह लाइन भी हटा दें।

सेवा में,
अध्यक्ष, ज़िला शुल्क नियामक समिति,
द्वारा: ज़िला विद्यालय निरीक्षक, ज़िला _____

विषय: _____ (विद्यालय) द्वारा नियम-विरुद्ध फ़ीस/वसूली की शिकायत।

महोदय,
मेरा/मेरी बच्चा/बच्ची _____ उक्त विद्यालय में कक्षा _____ में पढ़ता/पढ़ती है।
शिकायत:
☐ फ़ीस पिछले साल ₹_____ से बढ़ाकर ₹_____ कर दी गई, जो तय सीमा से ज़्यादा है।
☐ किताबें/ड्रेस/जूते किसी ख़ास दुकान से ख़रीदने को मजबूर किया जा रहा है।
☐ 5 साल के भीतर स्कूल ड्रेस बदल दी गई।
☐ फ़ीस की रसीद नहीं दी जाती / फ़ीस वेबसाइट पर नहीं है।
विवरण: _____
मैंने दिनांक _____ को प्रधानाचार्य को लिखित शिकायत दी थी; 15 कार्य-दिवस में कोई सुनवाई नहीं हुई।

अत: निवेदन है कि उ.प्र. स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के तहत जाँच कर ज़्यादा ली गई फ़ीस वापस दिलाएँ और नियमानुसार कार्रवाई करें।

स्थान: _____ तारीख़: _____
नाम: _____
पिता/पति का नाम: _____
पता: _____
मोबाइल: _____
हस्ताक्षर/अँगूठा निशान: _____